8B/UCP/06/70/2022/FC 1/90748/2024



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / Ministry of Environment, Forest & Climate Change क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /



दिनांकः As per e-sign

Regional Office, Dehradun

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001 दुरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/70/2022/एफ.सी. सेवा में,

> प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादुन।

विषयः जनपद- हरिद्वार में केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग राज्य संख्या-26 के कि0 मी0 19 तक पेब्ड शोल्डर से मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 7.32 है0 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0 नि0 वि0 को वन भूमि प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/153125/2022).

सन्दर्भः कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 416/12-1: देहरादून: दिनांक 17-08-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर एफ 0 आर 0 सी0 एम 0 की बैठक दिनांक 24.01.2023 में चर्चा की गई थी जिसके जवाब मे प्रस्तुत संदर्भित पत्र का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी है। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेः

- 1. The CA is proposed over Degraded Forest Land and as per the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, the CA area is required to be provided over Non-forest Land.
- 2. As per the FRCM decision (point no. 2 of the MoM of FRCM dt. 24.01.2023), the Forest Department was supposed to inspect the area in view of tree felling but the inspection note is not found submitted. The State Government shall submit the inspection report and list of trees actually proposed to be felled.
- 3. As per DSS analysis of the KML of the proposed diversion area, the area calculation comes to 25.09 ha instead of proposed 7.32 ha. This may be clarified.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया.

(नीलिमा शाह, भा॰व॰से॰) सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।